

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2017—श्रावण 6, शक 1939

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2017

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 12-2017-चार-रा.स.-187.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 364, दिनांक 21 जुलाई 2017 को प्रकाशित आयोग की अधिसूचना में संशोधन हेतु भारत निर्वाचन आयोग का शुद्धि-पत्र क्र. 100-रा.स.म.प्र.-4-2017(02), दिनांक 28 जुलाई 2017 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 2017—श्रावण 6, 1939 (शक)

शुद्धि-पत्र

सं. 100-रा.स.-म.प्र.-4-2017(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 और उपधारा(1) की धारा 22 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 21 जुलाई, 2017 को प्रकाशित आयोग की अधिसूचना सं. 100-रा.स.-म.प्र.-4-2017(2) के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी में विद्यमान प्रविष्टि "प्रधान सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा" के स्थान पर प्रविष्टि "श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा" पढ़ा जाए.

आदेश से,
हस्ता./-

(सुमन कुमार दास)

अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001.

New Delhi, Dated 28th July, 2017—Shravana 6, 1939 (Saka)

CORRIGENDUM

No. 100-CS-MP-4-2017(2).—In column (1) of the Table appended to in the Commission's Notification No. 100-CS-MP-4-2017(2), dated 21st July, 2017, issued under section 21 and sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the existing entry thereof in respect of appointment of Returning Officer for the bye election to the Council of States from Madhya Pradesh, namely, "Principal, Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly" shall be read as "Shri Awadesh Pratap Singh, Principal Secretary Madhya Pradesh Legislative Assembly".

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Under Secretary to the
Election Commission of India.